



कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/ 7007

जबलपुर, दिनांक 03/10/2023

ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की निम्नानुसार सम्पत्तियों के यथारिथति विक्रय हेतु ऑनलाईन बोली (ऑफर आमंत्रण) पोर्टल www.vikaspradhikran.mponline.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सम्पत्ति क्र.	सम्पत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी. में) (अनुमानित)	आरक्षण की श्रेणी	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय दर (रु.)	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 10%)
योजना क्र. 05 (कचनार), विजयनगर विला / इयूएक्स						
1	विला क्र. 09	आवासीय	129.84	अनारक्षित	1,00,53,816	10,05,381
2	विला क्र. 11	आवासीय	123.81	अनारक्षित	79,30,019	7,93,002
3	विला क्र. 15	आवासीय	266.64	अनारक्षित	1,02,23,465	10,22,347
4	विला क्र. 17	आवासीय	119.54	अनारक्षित	77,64,569	7,76,457
5	विला क्र. 18	आवासीय	116.05	अनारक्षित	77,21,293	7,72,129
6	विला क्र. 19	आवासीय	115.98	अनारक्षित	77,20,425	7,72,043
योजना क्र. 24 (वाजनामठ), इयूएक्स भवन						
1	इयूएक्स क्र. 04	आवासीय	137.35	अनारक्षित	63,86,000	6,38,600
2	इयूएक्स क्र. 09	आवासीय	137.35	अनारक्षित	63,86,000	6,38,600
3	इयूएक्स क्र. 17	आवासीय	137.35	अनारक्षित	63,86,000	6,38,600
4	इयूएक्स क्र. 19	आवासीय	137.35	अनारक्षित	63,86,000	6,38,600
5	इयूएक्स क्र. 20	आवासीय	137.35	अनारक्षित	63,86,000	6,38,600
योजना क्र. 05 डीडी कॉम्प्लेक्स (एक नम गैरिज) यथारिथति						
1	गैरिज क्र.-8	गैरिज प्लैट धरियों के लिए अनारक्षित	13.80	अनारक्षित	608,000	60,800
योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (एमआईजी प्लैट) ब्लॉक - ए						
1	A-14 (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
2	A-15 (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (एमआईजी प्लैट) ब्लॉक - बी						
1	B-1 (प्रथम तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
2	B-2 (प्रथम तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
3	B-3 (प्रथम तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
4	B-5 (द्वितीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
5	B-13 (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (एमआईजी प्लैट) ब्लॉक - सी						
1	C-3. (प्रथम तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
2	C-7. (द्वितीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
3	C-9. (तृतीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
4	C-10. (तृतीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
5	C-13. (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
6	C-14. (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
7	C-15. (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	41,80,000	4,18,000
योजना क्रमांक 11 प्रथम चरण वेजीटेबिल मार्केट (हाल)						
1	ब्लॉक-सी द्वितीय तल	व्यासायिक	139.40	अनारक्षित	64,80,450	6,48,045
2	ब्लॉक-सी द्वितीय तल	व्यासायिक	114.77	अनारक्षित	51,66,000	5,16,600
3	ब्लॉक-बी द्वितीय तल	व्यासायिक	29.92	अनारक्षित	13,47,750	1,34,775

योजना क्रमांक 05, शिवबिहार दमोह रोड (चैम्बर), दो नग, पुनरक्षित कीमत, विजयनगर						
1	चैम्बर क. शी-1 प्रथम तल	व्यवसायिक	47.57	अनारक्षित	27,39,991/-	2,73,999/-
2	चैम्बर क. शी-7 प्रथम तल	व्यवसायिक	31.30	अनारक्षित	18,03,198/-	1,80,320/-
योजना क्रमांक 9 कम्प्यूनिटी हॉल एक नग						
1	गूगल- कम्प्यूनिटी हॉल	कम्प्यूनिटी हॉल	929.36	अनारक्षित	2,45,30,000/-	24,53,000/-

नोट- जिन संपत्तियों को पूर्व में तीन या अधिक बार आरक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया जा चुका है उन संपत्तियों हेतु आरक्षित श्रेणी का यह अंतिम अवसर रहेगा। इसके उपरान्त उक्त आरक्षित संपत्तियों को नियमानुसार अनारक्षित में श्रेणी परिवर्तन उपरान्त व्ययन हेतु प्रकाशन कराया जावेगा।

प्रक्रिया:- 1. योजना की विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल www.vikaspradhikran.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन की अवधि	04/10/23 से 01/11/23
बिड डालने की अंतिम तिथि	02/11/23 समय शाम 05:00 बजे तक
ऑफर खुलने की तिथि	03/11/23 (दोप. 03:00 बजे)

- ऑनलाईन आवेदन फार्म रु. 1000.00 एवं जीएसटी 180.00 पोर्टल फीस ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर साथ 05 वजे तक तक क्रय किये जाकर निर्धारित शेड्यूल अनुसार भरे जा सकते हैं। बिड दिनांक 02/11/23 शाम 05:00 वजे तक सबमिट की जा सकती है।
- वोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को कॉलम क्रमांक 7 में अंकित वोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑफर दिनांक 03/11/23 को ऑनलाईन ही उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष दोपहर 3:00 वजे प्राधिकरण कार्यालय में खाले जावेंगे। अन्य नियम एवं शर्त:- (1) संपत्ति का आवंटन 30 वर्ष की लीज अवधि पर निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा एवं संपत्ति की प्राप्त अधिकतम कीमत की 0.1 प्रतिशत राशि वार्षिक गूगटक के रूप में प्रतिवर्ष देय होगी। (2) संपत्ति क्रय हेतु ऑनलाईन ऑफर आवेदन स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त ही सबमिट करें, तत्पश्चात् कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा। (3) किसी अवसरक द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफर आवेदन मान्य नहीं होगा। (4) आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल प्रमाण पत्र एवं शपथ-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। (5) ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति कार्यालय में अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। (6) संपत्ति की शेष राशि अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना होगा, एकमुश्त राशि जमा न की जाने एवं आवंटि की मांग पर नियमानुसार अधिकतम 8 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदाय की जावेगी तथा ऐसी किस्तों पर 10 प्रतिशत दर से वार्षिक व्याज भी देय होगा। (7) किरत राशि विलंब से जमा करने पर विलंबित अतिमि पर 10 प्रतिशत दर से पृथक से व्याज भी देय होगा। व्यावसायिक संपत्ति की प्रीमियम राशि, विलंब व्याज राशि एवं गूगटक राशि इत्यादि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. पृथक से देय है। (8) राशि समयसीमा में जमा न करने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रीमियम राशि में स नियमानुसार कटौती उपरान्त शेष राशि बिना व्याज के लौटा दी जायेगी, व्याज सहित वापिसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। (9) क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी संपत्ति तथा आसपास की संपत्ति के लिये असुरक्षित हों। (10) विस्तृत नियम एवं शर्तों ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑफर-आवेदन करें। (11) ऑफर स्वीकृत/निरस्त किये जाने, विज्ञापित संपत्ति को विलोपित किये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। (12) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एवं समय-समय पर जारी शासनादेश, अनुबंध तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्तों आवेदक को मान्य होंगी। (13) उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र, अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर संपत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु भी प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। (14) संपत्ति में प्रीमियम के अलावा निर्धारित वांछित रखरखाव/प्रशासकीय या अन्य शुल्क इत्यादि के भुगतान करने हेतु भी आवंटि बाध्य होंगे। (15) उच्चतम वोलीकर्ता के अतिरिक्त अन्य वोलीकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राशि ऑफर खोले जाने की दिनांक से 30 कार्यदिवस में सबमिट एमपी ऑनलाईन पोर्टल/अधिकृत एजेंसी द्वारा सीधे वोलीकर्ता के बैंक खाते में वापिस (रिफण्ड) कर दी जावेगी किन्तु आवेदन शुल्क वापिस (रिफण्ड) वापस नहीं किया जावेगा। (16) आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की संपत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि उच्चतम ऑफर मूल्य पर नियमानुसार कटौत कर आयकर कार्यालय में जमा उपरान्त फॉर्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर

जबलपुर दिनांक 3/10/2023

पु.क्र./जविप्रा/ 7007/s

- प्रतिनिधि: 1. निज मन्त्र, मानवीय अग्र्य महादय, जविप्रा, जबलपुर को, मान. अग्र्य महादय को अवगत करने हेतु मूचनार्थ प्रेषित।
- सम्बद्ध महादय दैनिक समाचार पत्र को अपने अंक दिनांक में साईज में प्रकाशन हेतु।
 - समस्त कार्यपालन यंत्र श्री जविप्रा, जबलपुर को मूचनार्थ। कृपया विज्ञापन का अवलोकन करें एवं साईज आदि में कोई त्रुटि हो तो तत्काल सम्बन्ध शाखा को सूचित करें।
 - अनुसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु।
 - कम्प्यूटर शाखा, जविप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
 - लेखाधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को मूचनार्थ।
 - सम्भागयुक्त कार्यालय, नोटिस बोर्ड, जबलपुर।
 - क्लर्कट कार्यालय, नोटिस बोर्ड, जबलपुर।
 - निगमायुक्त, नोटिस बोर्ड, जबलपुर।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर